अभिव्यक्ति और माध्यम

(जनसंचार माध्यम और लेखन, सृजनात्मक लेखन, व्यावहारिक लेखन)

कक्षा 11 और 12 के लिए हिंदी (आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम) की पाठ्यपुस्तक

11071

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण

जुलाई 2006	*श्रावण 1927*

पुनर्मुद्रण

जनवरी 2010	*माघ 1931*
नवम्बर 2010	*कार्तिक 1932*
जनवरी 2011	*माघ 1932*
दिसंबर 2012	*अग्रहायण 1934*
अप्रैल 2013	*चैत्र 1935*
मार्च 2014	*फाल्गुन 1935*
दिसंबर 2014	*पौष 1936*
दिसंबर 2015	*अग्रहायण 1937*
दिसंबर 2017	*अग्रहायण 1939*
नवंबर 2018	*कार्तिक 1940*
जनवरी 2019	*पौष 1940*
सितंबर 2019	*भाद्रपद 1941*

PD 50T RSP

₹ 155.00

एन.सी.ई.आर.टी. वॉटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा मोडेस्ट प्रिंट पैक प्राइवेट लिमिटेड, ए-199, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फ़ेज़-II, सी-52, डी.डी.ए. शेड्स, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फ़ेज़-I, नयी दिल्ली - 110 020 द्वारा मुद्रित।

ISBN 81-7450-604-7

एन. सी. ई. आर. टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगांव
गुवाहाटी 781021 फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	:	*एम. सिराज अनवर*
मुख्य संपादक	:	*श्वेता उप्पल*
मुख्य उत्पादन अधिकारी	:	*अरुण चितकारा*
मुख्य व्यापार प्रबंधक	:	*बिबाष कुमार दास*
सहायक संपादक	:	*शशि चड्डा*
उत्पादन सहायक	:	*प्रकाश वीर सिंह*

आवरण एवं सज्जा
श्वेता राव

चित्र
इरफ़ान

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास हैं। इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितनी वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान व अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत व बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर नामवर सिंह और इस पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थानों और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन

विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित (मॉनिटरिंग कमेटी) द्वारा नामित श्री अशोक वाजपेयी और प्रोफ़ेसर सत्यप्रकाश मिश्र को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी टिप्पणियों व सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली
20 दिसंबर 2005

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

यह पुस्तक

विद्यार्थियों की सहज भाषा अभिव्यक्ति का ताकतवर ज़रिया बने। स्कूली जीवन से ही वे बाहर की विशाल दुनिया में झाँकें, जीवन-जगत के अनेक रूपों को समझे-बूझें, रंग-बिरंगे सपनों का ताना-बाना फैलाना सीखें, मुश्किलों को पहचानें और उसका सामना कर सकें यानी अपनी राह तलाशने में या बनाने में वे खुद सक्षम हो सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) में इन बिंदुओं पर खासा बल है। इन्हीं को ध्यान में रखकर नए पाठ्यक्रम के तहत उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी पुस्तक की परिकल्पना की गई, जो अभिव्यक्ति के अलग-अलग माध्यमों पर केंद्रित हो। *अभिव्यक्ति और माध्यम* नामक इस पुस्तक की तीन इकाइयाँ हैं– **जनसंचार माध्यम और लेखन, सृजनात्मक लेखन** और **व्यावहारिक लेखन**। ये तीनों ही माध्यम एक विशेष बिंदु पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और व्यापक रूप से संचार के ही अलग-अलग रूप हैं। पत्रकारिता का साहित्य से, साहित्य का व्यवहार से और इन सबका संचार से क्या संबंध है? यह बताने की आवश्यकता नहीं।

पुस्तक की पहली इकाई के रूप में **जनसंचार माध्यम और लेखन** संबंधी सामग्री पाँच अध्यायों में दी गई है। अपने समय, समाज और देश के प्रति जागरूक बनाने में जनसंचार माध्यम सबसे सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया है। हाल के वर्षों में भारतीय मीडिया में क्रांति-सी आई है। समाचार माध्यमों का विस्तार हुआ है और जनता का इससे जुड़ाव बढ़ा है। मीडिया क्रांति ने जहाँ एक ओर पूरे विश्व से जुड़ने का अवसर दिया है वहीं दूसरी ओर बाज़ार के दबाव में आम आदमी, उसके सुख-दुख, उसकी चिंताएँ, उसके सरोकार, उसकी उम्मीदों को हाशिये पर रख दिया है। केंद्र में सेलिब्रिटीज़ हैं और बिकाऊ खबरें हैं। युवा होते विद्यार्थियों को यह जानना ही होगा कि केंद्र और हाशिये का संतुलन तय करने में उनकी कलम क्या भूमिका अदा कर सकती है? उन्हें यह समझना ही होगा कि एक खुशहाल देश के निर्माण और प्रगति में भाषा की क्या भूमिका होती है? इन सबसे अनजान आज के बच्चों को टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, इंटरनेट और पत्रिकाएँ आकृष्ट तो करती हैं; जैसे, कहाँ से आती हैं खबरें, कैसे छपते हैं अखबार, कैसे जुड़े हैं आपस में पूरी दुनिया के तार? वगैरह। लेकिन इन सवालों के साथ-साथ उन्हें यह भी बताया जाना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया के तार जोड़ने वाली मीडिया की जानदार दुनिया उनकी सक्रिय और सचेत पहल के बिना कितनी बेजान है। सही मायनों में संचार का यही अर्थ है। यह पुस्तक जनसंचार की दुनिया को जानने, समझने और बच्चों से उनका तार जोड़ने की दिशा में एक पहल कर सकती है।

कहा जाता है कि अच्छी पत्रकारिता अच्छा साहित्य है, उसी तरह से यह भी कहा जाता है कि अच्छा साहित्य अच्छी पत्रकारिता की भूमिका निभाता है। यानी दोनों का लक्ष्य एक है। इस पुस्तक की दूसरी इकाई में **सृजनात्मक लेखन** संबंधी आठ अध्याय शामिल हैं। साहित्य निर्जीव चीज़ों में भी स्पंदन भर देता है। यह स्पंदन भरना ही सृजनात्मकता है। इस प्रक्रिया से जुड़ना केवल नदी, पहाड़, फूल, तारे, बादल, खेत आदि को ही नहीं बल्कि खुद

को भी नए स्पंदन से भरना है। इसकी पहचान के सहारे बच्चे निश्चय ही एक सजीव दुनिया रचने में समर्थ हो सकते हैं। आज कला और साहित्य बच्चों के लिए अवास्तविक और अमूर्त कल्पना बनकर रह गया है। उन्हें यह जानकारी देना ज़रूरी है कि हर रचना की आधारभूमि भाव होता है जिसकी जड़ें यथार्थ से जुड़ी होती हैं। रचनात्मक प्रक्रिया से होकर गुज़रना उनकी अमूर्त कल्पना को यथार्थ और विश्वास से जोड़ने में समर्थ हो सकता है। यूँ तो लेखन से बच्चों का संपर्क और संबंध स्कूली दुनिया में प्रवेश के साथ ही हो जाता है। लेकिन सृजन क्या है? यह इन बच्चों को नहीं पता होता। मसलन कैसे बनती है कविता? उपन्यास, कहानी और नाटक आदि का लेखन कैसे होता है? सृजनात्मकता की बुनावट की पहचान जहाँ उनमें एक ओर रचनाशीलता के प्रति ललक पैदा कर उन्हें रचनाशील बनाती है, वहीं दूसरी ओर साहित्य और साहित्येतर लेखन को जानने-समझने में भी मददगार हो सकती है।

पत्रकारिता और साहित्य जहाँ एक ओर विद्यार्थी को ज़िम्मेदार नागरिक और रचनात्मक व्यक्तित्व दे सकने में सहायक होंगे, वहीं व्यावहारिक लेखन की जानकारी इस ज़िम्मेदारी के निर्वाह में मददगार होगी। साथ ही यह प्रयोजनमूलक हिंदी के विशाल फलक को जानने का ज़रिया बन सकती है। पुस्तक की तीसरी इकाई में **व्यावहारिक लेखन** संबंधी तीन अध्याय शामिल हैं। इसी के तहत शब्दकोश का परिचय भी रखा गया है। इसकी प्रस्तुति कहानी के ढाँचे में है। उद्देश्य यह है कि व्यवहार की हिंदी को बच्चे व्यवहार के माध्यम से ही जानें। विषय के प्रति उनकी अभिरुचि भी बनी रहे, साथ ही कार्यालयी प्रक्रिया से अनजान बच्चों के दिमाग में विभिन्न कार्यालयी स्थितियों की उचित तसवीर अंकित हो सके। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि आज का व्यावहारिक लेखन अपने नाम से अलग एक औपचारिक लेखन मात्र बनकर रह गया है। कामकाजी जीवन के रोज़मर्रा की भाषा को मशीनी एकरसता से निकालकर उसकी धड़कन सुनने की ज़रूरत बड़े दिनों से महसूस की जा रही है। यह पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास होगी।

जनसंचार संबंधी लेखन हो, सृजनात्मक लेखन हो या व्यावहारिक लेखन—तीनों ही इकाई के प्रश्न खुद कर के सीखने और जानने में सहायक होंगे। **गतिविधि** और **पाठ से संवाद** शीर्षक अभ्यास बच्चों को लेखन की दुनिया से जोड़ने की पहल कर सकने में मददगार होंगे। पुस्तक के परिशिष्ट में नए शब्दों और पारिभाषिक शब्दों के बारे में दिया गया है। साथ ही कुछ विषयों से जुड़े वेब साइट्स की सूचना दी गई है जो अतिरिक्त जानकारी में सहायक होंगी।

साज-सज्जा के लिए तसवीरों के साथ-साथ रेखांकन, स्वतंत्र कार्टून और कैरीकेचर की मदद ली गई है। व्यंग्य के सहारे कार्टून संजीदा बिंबात्मक अर्थ देने में समर्थ होते हैं। जनसंचार, सृजनात्मक लेखन और व्यावहारिक लेखन जैसे विषयों के साथ-साथ कार्टून चित्रों का प्रयोग विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का एक नया माध्यम भी दे सकता है।

पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसमें हमेशा नए की संभावना बनी रहती है। पुस्तक को निरंतर नया कर सकने और कुछ सुझाव जोड़ने में आपसे संचार सहायक होगा।

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति

नामवर सिंह, *पूर्व अध्यक्ष,* भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली

मुख्य सलाहकार

पुरुषोत्तम अग्रवाल, *पूर्व प्रोफ़ेसर,* भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली

मुख्य समन्वयक

रामजन्म शर्मा, *पूर्व प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष,* भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

सदस्य

अतुल सिन्हा, *पूर्व सलाहकार प्रोफ़ेसर,* जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड मास कम्यूनिकेशन, नोएडा

अमिताभ श्रीवास्तव, *स्वतंत्र रंगकर्मी,* नयी दिल्ली

असगर वजाहत, *प्रोफ़ेसर,* जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली

आनंद प्रधान, *एसोसिएट प्रोफ़ेसर,* आई.आई.एम.सी., जे.एन.यू., नयी दिल्ली

गोविंद सिंह, *पूर्व संपादक,* अमर उजाला, नयी दिल्ली

देवेन्द्र राज अंकुर, *पूर्व निदेशक,* राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नयी दिल्ली

धीरंजन मालवे, *विशेष कार्य अधिकारी,* प्रसार भारती, नयी दिल्ली

प्रियदर्शन, *समाचार संपादक,* एन.डी.टी.वी. इंडिया, नयी दिल्ली

मधुकर उपाध्याय, *पूर्व संपादक,* लोकमत, नागपुर

महेन्द्रपाल शर्मा, *प्रोफ़ेसर,* जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली

संजीव कुमार, *वरिष्ठ प्रवक्ता,* देशबंधु कॉलेज, कालकाजी, नयी दिल्ली

सुभाष धूलिया, *प्रोफ़ेसर,* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

हेमन्त जोशी, *एसोसिएट प्रोफ़ेसर,* आई.आई.एम.सी., जे.एन.यू., नयी दिल्ली

सदस्य-समन्वयक

संध्या सिंह, *प्रोफ़ेसर,* भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1]**[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य]** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2]**[राष्ट्र की एकता और अखंडता]** सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

आभार

इस पुस्तक के निर्माण में अकादमिक सहयोग के लिए विशेष आमंत्रित ओम गुप्ता, *पत्रकार,* नयी दिल्ली, उषा शर्मा, *वरिष्ठ प्रवक्ता,* डाइट, मोती बाग, नयी दिल्ली; नीलकंठ कुमार, *अध्यापक,* प्रतिभा विकास विद्यालय, नयी दिल्ली; अनुराधा, *अध्यापिका,* सरदार पटेल विद्यालय, नयी दिल्ली; नूतन झा, *अध्यापिका,* मीरांबिका विद्यालय, नयी दिल्ली के हम आभारी हैं।

ईदगाह संबंधी रेखांकन के लिए अजय मोहंती, सामग्री संचयन के लिए नेहरू स्मारक पुस्कालय, नयी दिल्ली एवं नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के हम कृतज्ञ हैं।

इस पुस्तक के निर्माण में तकनीकी सहयोग के लिए कंप्यूटर स्टेशन (भाषा विभाग) के *प्रभारी,* परशराम कौशिक, *डी.टी.पी. ऑपरेटर* जय प्रकाश राय, सचिन कुमार तथा विजय कुमार; *कॉपी एडिटर* प्रमोद तिवारी, समीना उस्मानी, सुप्रिया गुप्ता, सतीश झा; *प्रूफ रीडर,* कमलेश कुमारी के प्रति हम आभारी हैं।

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

विषय-क्रम